# अध्यादेश का सारांश

## डेंटिस्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2016

- डेंटिस्ट (संशोधन) अध्यादेश, 2016, 24 मई, 2016 को जारी किया गया। यह अध्यादेश डेंटिस्ट एक्ट, 1948 को संशोधित करता है। इस एक्ट में डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के गठन का प्रस्ताव है। डीसीआई निम्नलिखित को रेगुलेट करता है: (i) कॉलेजों, पाठ्यक्रम को शुरू करने या सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अनुमति, (ii) डेंटिस्टों का पंजीकरण और (iii) डेंटिस्टों के प्रोफेशनल व्यवहार के मानक आदि।
- अध्यादेश में डेंटल कॉलेजों के लिए समान भर्ती परीक्षा को प्रस्तावित किया गया है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर लागू होगा।
- अध्यादेश में कहा गया है कि अगर कोई राज्य समान भर्ती परीक्षा की पद्धति का चयन नहीं करता, तो शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए स्नातक स्तर पर यह पद्धति लागू नहीं होगी। यह प्रावधान राज्य सरकार के कॉलेजों और निजी डेंटल कॉलेजों में राज्य सरकार की सीटों पर लागू होगा।
- प्रवेश परीक्षा का आयोजन हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में किया जाएगा।
- अध्यादेश निम्नलिखित के संबंध में रेगुलेशन बनाने के लिए डीसीआई को अधिकार देता है: (i) परीक्षा कराने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति, (ii) परीक्षा के आयोजन का तरीका और (iii) अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त उन भाषाओं के संबंध में निर्देश जिनमें परीक्षाएं कराई जा सकती हैं।

यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

दिपेश सुवर्ण
dipesh@prsindia.org

30 मई, 2016